



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 66 राँची, मंगलवार, 5 फाल्गुन, 1947 (श०)  
24 फरवरी, 2026 (ई०)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

-----

संकल्प

12 फरवरी, 2026

**संख्या-5/आरोप-1-48/2022 का० 799--**चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री देवराज गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-195/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर, गोड्डा के विरुद्ध उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-846/ स्था०, दिनांक 23.09.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

आरोप पत्र में इनके विरुद्ध राजमहल खनि-समूह, ललमटिया को अधिग्रहित भूमि के वंशावली निर्गत करने में एक ही जमाबंदी को भिन्न-भिन्न वंशावली निर्गत करने, अपने अनियमित कार्यों से खनन कार्य को प्रभावित करने, सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं में अरुचि रखने, उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी के राजस्व न्यायालय से संबंधित जाँच प्रतिवेदन भेजने में विलंब करने, रिक्त ग्राम प्रधानों के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने, सरकारी भूमि का अतिक्रमण, जन शिकायत जैसे गंभीर मामलों में विलंबता करने तथा सरकारी राजस्व वसूली को क्षति पहुँचाने एवं सरकारी सेवक आचरण नियमावली नियमों के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. श्री गुप्ता के विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प सं0-21689(HRMS), दिनांक 16.06.2023 द्वारा श्री गुप्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

3. विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-457, दिनांक 26.11.2025 जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

5. माननीय झारखण्ड झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही / अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को Exhibit नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है।

6. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-18 (1) के तहत दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्री गुप्ता को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ।

8. श्री गुप्ता के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में पुनः आगे जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरूण वाल्टर संग्रा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

9. श्री गुप्ता के विरुद्ध संकल्प सं0-21689(HRMS), दिनांक 16.06.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्ता, गोड्डा उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किये गये हैं।

10. श्री गुप्ता के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख श्री अरुण वाल्टर संग, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

11. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री देवराज गुप्ता, झा०प्र०से० एवं श्री अरुण वाल्टर संग, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**चिन्टू दोराईबुरु**

सरकार के संयुक्त सचिव।

-----